



ग्रामीण विकास में मनरेगा की उपलब्धि : एक समीक्षा

1. धन्ना राम जानू

शोधार्थी, आर्थिक प्रशासन
एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, भारत

2. प्रो. कृष्णा गुप्ता

विभागाध्यक्ष, आर्थिक प्रशासन
एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, भारत

सार :-

मनरेगा भारत में संचालित विश्व का अग्रणी रोजगार सृजन कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी, 2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के तहत हुई। इसका प्रचलित नाम महात्मा गाँधी नरेगा है। जिसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का अकुशल श्रम पर आधारित रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। 1 अप्रैल, 2008 से मनरेगा भारत के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण भारत में गरीबी में कमी करने, नये रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, आर्थिक रूप से पिछड़े, कमजोर वर्ग के उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मनरेगा के क्रियान्वयन से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

मुख्य शब्द :- मनरेगा, रोजगार, आर्थिक, सामाजिक, ग्रामीण

प्रस्तावना :-

भारत गाँवों का देश है। देश की लगभग दो-तिहाई आबादी गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। भारत की लगभग दो-तिहाई कृषि मानसून और वर्षा पर आधारित है। कृषि की मौसमी प्रकृति होने के कारण गाँवों में अधिकांश समय रोजगार की समस्या बनी रहती है।¹ गाँवों से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति बढ़ती है।

गाँवों में सर्वाधिक गरीब, पिछड़े, खेतीहर मजदूर, दिहाड़ी मजदूर एवं कामगारों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए भारतीय संसद ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम पारित किया।² इस अधिनियम के तहत 2 फरवरी, 2006 से देश के सर्वाधिक पिछड़े 200 जिलों में ग्रामीण रोजगार सृजन करने के लिए मनरेगा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। वित्तीय वर्ष 2007-08 से इसे दूसरे चरण में देश के 130 ओर जिलों में क्रियान्वित किया गया। 1 अप्रैल, 2008 से मनरेगा कार्यक्रम सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में मनरेगा के अंतर्गत देश के सभी ग्रामीण क्षेत्र कवर किये जा रहे हैं।

मनरेगा के मुख्य उद्देश्य :-

मनरेगा कार्यक्रम के निम्न मुख्य उद्देश्य हैं –

- [1]. देश के ग्रामीण क्षेत्र में मांग पर आधारित गारण्टीयुक्त रोजगार का सृजन करना।
- [2]. प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस का अकुशल श्रम पर आधारित रोजगार उपलब्ध करवाना।
- [3]. ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिसम्पतियों का स्थाई निर्माण एवं सर्जन करना।
- [4]. ग्रामीण गरीबों को आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से मजबूत बनाना।
- [5]. ग्रामीण विकास में कार्यरत पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सशक्त एवं सुदृढ़ बनाना।

मनरेगा की मुख्य विशेषताएं :-

मनरेगा की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं –

- [1]. इस योजना की मुख्य विशेषता प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाना है।³ यह रोजगार अकुशल श्रम के रूप में परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्य को उपलब्ध करवाया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा पंजियन के बाद 15 दिवस में जॉब कार्ड उपलब्ध करवा दिया जाता है।
- [2]. जॉब कार्ड धारी को काम मांगने के 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध करवा दिया जाता है। अगर ग्राम पंचायत के द्वारा काम मांगने के 15 दिवस के भीतर काम उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो बेरोजगारी भत्ते का हकदार होता है।
- [3]. मनरेगा श्रमिक को उसके निवास स्थान से 5 किलोमीटर की परिधि में काम उपलब्ध करवाया जाता है। दूरी 5 किलोमीटर से अधिक होने पर वह परिवहन भत्ते का हकदार होता है।
- [4]. कार्यस्थल पर ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छ पेयजल, बच्चों व श्रमिकों के विश्राम के लिए छायादार शेड एवं प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है।
- [5]. मनरेगा कार्य के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- [6]. मनरेगा श्रमिकों को कार्यानुसार मजदूरी का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। बिना किसी लैंगिक भेदभाव के कार्य की मात्रा के अनुसार मजदूरी प्रदान की जाती है।
- [7]. मनरेगा के अन्तर्गत किये गये सभी खर्चों, मजदूरी भुगतान एवं कार्यों का प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है।
- [8]. मनरेगा कार्यक्रम के क्रियान्वयन का वित्तपोषण केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा आनुपातिक रूप से किया जाता है।

मनरेगा योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के सामाजिक उत्थान में सफल रही है।⁴ राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा के अन्तर्गत गरीब व कमजोर वर्गों की भागीदारी काफी अधिक रही है।⁵

मनरेगा ने महिला सशक्तीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अधिनियम में महिला सम्मान, समान कार्य के लिए समान वेतन आदि प्रावधान किये गये हैं। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने व समान मजदूरी भुगतान से महिलाओं एवं बच्चों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण में वृद्धि हुई है।⁶ महिला कामगार अपने छोटे खर्चों एवं बच्चों के शिक्षा खर्च के मामले में आत्मनिर्भर बनी है।⁷

मनरेगा योजना ने मौसमी बेरोजगारी के प्रभाव में कमी की है। मनरेगा से लोगों को कृषि के अलावा गैर-कृषि कार्यों में रोजगार उपलब्ध हुआ है। मनरेगा से लोगों में आर्थिक मजबूती आने से बच्चों के

पोषण में सुधार हुआ है।⁸ मनरेगा योजना के संचालन से काम धंधे के लिए गाँवों से शहरों की ओर पलायन में कमी आई है। मनरेगा से लोगों को गाँवों में आय का वैकल्पिक स्रोत प्राप्त हुआ है।⁹

अध्ययन के उद्देश्य :-

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य मनरेगा कार्यक्रम के संचालन से रोजगार सृजन, पिछड़े व महिलाओं पर इसका आर्थिक-सामाजिक प्रभाव की समीक्षा कर मनरेगा की उपलब्धियों की जानकारी हासिल करना है।

प्रविधि :-

प्रस्तुत अध्ययन संमकों के द्वितीयक स्रोत जैसे – सरकारी प्रकाशन, विभिन्न शोध आलेख एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित है। अध्ययन हेतु आंकड़ों का प्रदर्शन औसत, संख्यात्मक व प्रतिशत के रूप में किया गया है।

मनरेगा की प्रगति

उपलब्धि	वित्तीय वर्ष			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
1. स्वीकृत श्रम बजट (करोड़ रुपये)	307.26	285.33	337.76	385.67
2. कुल केन्द्रीय श्रम दिवस (करोड़)	309.07	293.7	363.19	389.09
3. कुल श्रम दिवस में अनुसूचित जाति का %	19.18	19.55	19.17	19.87
4. कुल श्रम दिवस में अनुसूचित जनजाति का %	17.63	18.02	18.33	17.95
5. कुल श्रम दिवस में महिला श्रमिक का %	58.89	57.47	54.82	53.19
6. औसत मजदूरी दर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिवस (रुपये)	235.63	216.57	208.84	200.71
7. 100 दिवस पूरे करने वाले परिवारों की संख्या	4501536	3596873	5914761	7197090
8. कार्यरत दिव्यांग श्रमिक	498014	504167	576250	606149

स्रोत :- <https://nrega.nic.in>

निष्कर्ष एवं सुझाव :-

प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मनरेगा योजना के संचालन से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। कुल श्रमिकों के प्रतिशत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भागीदारी अच्छी एवं सकारात्मक है। विशेष बात ध्यान देने योग्य यह है कि कुल श्रम दिवस में महिला श्रम दिवस का प्रतिशत आधे से अधिक है। जो महिला सशक्तीकरण एवं महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक उन्नति का प्रतीक है। हालांकि 100 दिवस पूरे करने वाले परिवारों में कुछ कमी आ रही है। मनरेगा में दिव्यांग श्रमिकों की सकारात्मक भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि दिव्यांग श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और वे समाज की मुख्य धारा में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं।

प्रस्तुत अध्ययन के अनुसार मनरेगा का कौशल विकास एवं तकनीकी पक्ष कमजोर है क्योंकि मनरेगा में काम करने वाले अधिकांश श्रमिक अकुशल है। इनको समयानुसार उचित प्रशिक्षण देकर इनके कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता है। ताकि इनकी आय-सर्जन क्षमता में वृद्धि हो सके।

संदर्भ ग्रंथ –

1. Itoo, I. A. (2021). Socio-economic impact of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act on rural employment: A case study of Awoora Gram Panchayat of District Anantnag, Jammu and Kashmir.
2. Banik, N., Ghosh, B., & Choudhury, R. R. (2021). Impact of MGNREGA on labour wage rate dynamics in India. *Regional Statistics*. Retrieved from <http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2020/rs110106.pdf>
3. Goyal, S., & Datta, D. (n.d.). Performance of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA): A review of women employment.
4. Narayan, S. (2022). Fifteen years of India's NREGA: Employer of the last resort.
5. Odegouda, R. T., & Nari, S. B. (n.d.). Performance of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Karnataka: A seasonal wise analysis.
6. Choudhary, K. R., Kaushik, A., & Kulshrestha, S. K. (2021). Role of government employment generation schemes in Sahariya tribe's economic development in Rajasthan.
7. Bhatia, J. K., Bharadwaj, N., & Nimbrayan, P. K. (n.d.). Impact of MGNREGA on rural women empowerment in Hisar, Haryana.
8. Pamecha, S., & Sharma, I. (2015). Socio-economic impact of MGNREGA: A study undertaken among beneficiaries of 20 villages of Dungarpur district of Rajasthan. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 5(1), 1-4.
9. Swain, S. K. (2022). Impact of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme on socio-economic development of migrant families of Odisha. *International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Topics*, 3(1), 111-117.

